**भारत सरकार**

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 712**

**सोमवार, दिनांक 27 जुलाई, 2015 को उत्‍त्‍ार देने हेतु**

**सौर ऊर्जा की लागत**

712. **श्री ए॰ यू॰ सिंह दिवः**

**श्री रवि प्रकाश वर्माः** क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के ज्यादातर राज्यों में वृहत स्तर पर विद्युत उत्पादन की लागत 6/7 रुपये प्रति यूनिट है;

(ख) यदि हां, तो क्या व्यापक राज सहायता प्रदान किए जाने के बावजूद सौर ऊर्जा अध्कि महंगी होगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और सौर ऊर्जा उत्पादन की प्रति यूनिट लागत क्या है;

(घ) क्या ज्यादातर राज्य विद्युत बोर्ड लगभग 3,00,000 करोड़ रुपये के संचयी नुकसान के साथ ठप्प पड़े हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या कुछ विद्युत वितरण कंपनियों ने थोड़ी मात्रा में भी महंगी सौर ऊर्जा खरीदने से मना कर दिया है, जिसे खरीदने के लिए उनको अधिदेश दिया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा सौर ऊर्जा लागत को कम करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्‍त्‍ार**

**विद्युत, कोयला तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री पीयूष गोयल)**

1. वृहत स्तर पर विद्युत उत्पादन की लागत ईंधन की लागत तथा अन्य आवश्यक सामग्रियों की लागत में अन्तर होने के कारण अलग-अलग होती है।

(ख) और (ग) सौर विद्युत के मूल्य में हाल के वर्षों में भारी गिरावट आई है। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने वित्त वर्ष 2015-16 के लिए सौर पीवी प्रणाली हेतु 7.04 रुपए/किलोवाट-घंटे (त्वरित मूल्य ह्रास के बिना) और 6.35 रुपए/किलोवाट-घंटे (त्वरित मूल्य ह्रास के साथ) की सामान्य समस्तरित उत्पादन शुल्क दर निर्धारित की है। कुछ बोलियों में 5.05 रुपए प्रति किलोवाट घंटे तक कम की गई शुल्क दरों का प्रस्ताव किया गया है। सौर विद्युत संयंत्र के 25 वर्ष के पूरे जीवनकाल को देखते हुए अब सौर विद्युत पारंपरिक विद्युत के साथ पूर्णतः प्रतिस्पर्द्धी बन चुकी है क्योंकि सौर क्षेत्र में एक लंबी समयावधि तक एक स्थिर शुल्क-दर होती है।

(घ) कई राज्य विद्युत वितरण कंपनियों को संचयी नुकसान हुए हैं।

(ड़) अधिकांश राज्य विद्युत विनियामकों ने सौर विद्युत के लिए अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यताएं (आरपीओ) निर्धारित की है। कुछ वितरण कंपनियों के आरपीओ दायित्वों को पूरा करने में कमी हुई है।

(च) सरकार द्वारा सौर ऊर्जा लागत को कम करने हेतु उठाए गए कदम नीचे दिए गए हैः

1. ग्रिड संबद्ध सौर एवं पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए समय-समय पर घोषित विभिन्न अंतःक्षेपों के माध्यम से उत्पादन आधारित प्रोत्साहन तथा विद्युत की बंडलिंग की सुविधा।
2. सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने के लिए रियायती आयात शुल्क/उत्पाद शुल्क से छूट, त्वरित मूल्य ह्रास और करावकाश।
3. नई प्रौद्योगिकियों तथा दक्षता में सुधार के लिए कई अनुसंधान और विकास प्रयास किए गए हैं।
4. ग्रिड संबद्ध सौर विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना करने के लिए व्यवहार्यता अंतराल निधिकरण का प्रावधान।
5. सौर मिशन के वर्ष 2022 तक 1,00,000 मेगावाट के संशोधित लक्ष्य के अंतर्गत सौर विद्युत संयंत्रों की बड़े पैमाने पर संस्थापना से भी आकार और मात्रा के कारण सौर विद्युत की उत्पादन लागत में कमी आएगी।
6. सौर विद्युत संयंत्रों की संस्थापना करने के लिए क्षमता के आबंटन में मुक्त प्रतिस्पर्द्धी बोली प्रक्रिया से लागत में कमी आती है।